रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032023-244033
CG-DL-E-02032023-244033

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2023/फाल्गुन 10, 1944
No. 122] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2023/PHALGUNA 10, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च 2023

सा.का.नि. 158(अ).—औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 33 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार चिकित्सा औषध नियम, 1945 में और संशोधन करने के लिए जिन कतिपय नियमों को बनाने का प्रस्ताव करती है उनका निम्नलिखित मसौदा इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त नियमों का मसौदा इन मसौदा नियमों से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां आम जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तारीख से सात दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद विचारार्थ लिया जाएगा;

ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हैं, अवर सचिव (औषध), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा सं. 434, सी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकते हैं या drugsdiv-mohfw@gov.in. पर ई-मेल किए जा सकते हैं।

मसौदा नियम

1. (1) इन नियमों का नाम औषध (.......संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. औषध नियम, 1945 के नियम 43क में शब्द “और कृष्णापत्तनम” शब्दों के स्थान पर “कृष्णापत्तनम और गंगावरम बंदरगाह” शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. एक्स.11035/131/2022-डीआर]

राजीव वधावन, सलाहकार (लागत)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March,2023

G.S.R. 158(E).—The following draft of certain rules further to amend the Drugs Rules, 1945, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 12 and sub-section (1) of section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft rules are made available to the public.

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary (Drugs), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Room No. 434,C Wing, Nirman Bhavan, New Delhi - 110011 or emailed at drugsdiv-mohfw@gov.in.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Drugs (... Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs Rules, 1945, in rule 43A, for the words “and Krishnapatnam port”, the words, “Krishnapatnam and Gangavaram ports” shall be substituted.

[F.No. X.11035/131/2022-DR]

RAJIV WADHAWAN, Advisor (Cost)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.03.02 11:45:22 +05'30'